अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटॉड़(विद्यासागर)

संदिग्ध / अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या- 151 / 2023

आदेश फलक

तिथि	2	मंतव्य 3
	--:आदेश:--	
07 2023	अभिलेख उपस्थापित। यह संदिग्ध / अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-151 / 2023 राजस्व उपनिरीक्षक हल्का-04-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, करमाटॉड (विद्यासागर) के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0-04 ने प्रभारी अंचल निरीक्षक, करमाटॉड (विद्यासागर) के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि अंचल करमाटॉड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-सुगापहाड़ी, थाना सं0-42, खाता सं0-31 / 8 भूमि जमाबंदीधारी हलधर दास पिता-नन्दू दास ग्राम-सुगापहाड़ी पो0-करमाटॉड थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा के नाम से जमाबंदी सं0-31 / 8 में जमाबंदी कायम है तथा लगान वर्ष-1985-86 से 2008-09 तक जमा दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं होने से तथा भूमि का किस्म पुरातन पतित होने से उक्त जमाबंदी संदिग्ध मानते हुए जमाबंदी रद्दीकरण की कारवाई की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारी / उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया । वादी की ओर से उनके पौत्र श्री कमल किशोर दास पिता-गणपति दास ने उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में बंदोबस्ती वाद सं0-149 / 1958-59 (अनुमडंल पदाधिकारी जामताड़ा) तथा कई लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया है। बंदोबस्ती वाद सं0-149 / 1958-59 के कागजातों की सत्यापित प्रति भी समर्पित किया है। समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, तदोपरान्त दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन की माँग राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0-IV / अंचल निरीक्षक / अंचल अमीन, करमाटॉड (विद्यासागर) से की गई। राजस्व उपनिरीक्षक / अंचल निरीक्षक / अंचल अमीन,करमाटॉड(विद्यासागर) ने संयुक्त प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित किया है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अंचल अमीन के साथ मौजा-सुगापहड़ी न0.-42 अन्तर्गत अनावादी खाता सं0-31 / 8 दाग सं0-495 रकवा-4.42 एकड़ दाग सं0-320 रकवा-1.21 एकड़ एवं दाग सं0-520 रकवा-0.81 एकड कुल रकवा-6.44 एकड़ सभी किस्म-पुरातन पतित भूमि का जाँच एवं मापी किया गया। जॉचापरान्त पाया कि उक्त खाते की भूमि पर 1.अनिल दास 2.कीर्तन दास दोनो पिता-स्व0 देवेन्द्र दास 3.सुनील दास 4.असर्फी दास 5.संतोष दास 6.सुभाष दास चारो पिता-स्व0 कार्तिक दास 7.दिनेश दास पिता-स्व0 विन्देश्वरी दास 8.कमल किशोर दास 9.चन्द्र किशोर दास दोनों पिता-स्व0 गणपति दास 10.रामलाल दास 11.परिमल दास 12.श्यामलाल दास 13.संजीत दास चारो पिता-स्व0 निताईचन्द्र दास सभी साकीन सुगापहाड़ी के द्वारा मकान, बाड़ी एंव खंडित कर खेत बना कर खेती के रूप में दखल-कब्जा है। बंदोबस्ती कागजात, संलग्न लगान रसीद तथा मापी-सह-दखल संबंधी जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त वर्णित जमाबंदी सं0-31 / 8 को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा को भेजें। 11.07.23 अंचल अधिकारी, करमाटॉड़(विद्यासागर), जामताड़ा।	

Digitally signed by RAM PRAWESH KUMAR
Date: 2024.07.18 13:18:45 +05:30
Location: 192.168.1.2